परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

संख्या– 3448 एलएएस/2012–41मिस/एलएएस/98 दिनांक 21 सित0 09 2012

1–प्रधान प्रबन्धक(के0का0/डा0रा0म0लो0कार्य0),
उ0प0 परिवहन निगम,
कानपुर ।

2–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

3–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

4–समस्त स0वि0अधि0/स0क्षे0प्र0(का0),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–मोटर दुर्घटना प्रकरणों में योजित की जाने वाली अपीलों तथा उनमें प्राप्त स्थगनादेशों का समयबद्व अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–228एलएएस/12–41मिस/एलएएस/ 98 दिनांक 24–01–2012 का संदर्भ ग्रहण करें (प्रति संलग्न) ।

संदर्भित विषय में दिनांक–23–07–2012 को सहायक विधि अधिकारियों एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कार्मिकों) की बैठक में अवगत कराया गया कि परिपत्र दिनांक 24–01–2012 में बिन्दु संख्या "क" एवं "ख" से संबंधित प्रकरणों में अपेक्षित धनराशि क्षेत्र स्तर से सीधे भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी, तद्नुसार क्षेत्रो द्वारा समयान्तर्गत अपीलें योजित करायी जा रही है तथा मा0 न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन भी समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या "ग" से संबंधित प्रकरणों, जिसके अन्तर्गत मोटर दुर्घटना अधिकरणों द्वारा पारित एवार्ड एवं चालक/परिचालकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि एवं दुर्घटना में लोक अदालतों के मध्य हुए समझौते की तुष्टि हेतु देय धनराशि की मांग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त वित्त नियंत्रक से की जाती है। वांछित धनराशि मुख्यालय स्तर से काफी विलम्ब से प्राप्त होने के फलस्वरूप ब्याज की देयता बढ़ती जाती है तथा कतिपय मामलों में इजरा कार्यवाही के अन्तर्गत निगम की वाहनें भी सीज हो जाती हैं।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि पूर्व में निर्गत परिपत्र दिनांक 24–01–2012 के बिन्दु संख्या "क" एवं "ख" के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था पूर्ववत रहेगी तथा बिन्दु संख्या–"ग" के सम्बन्ध में विलम्ब की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके दृष्टिगत ऐसे प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त क्षेत्र द्वारा एवार्ड की धनराशि का मांग–पत्र मुख्यालय की वित्त शाखा को निर्धारित तिथि से पूर्व उपलब्ध करा दिया जाय, जिस पर मुख्यालय की वित्त शाखा द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान क्षेत्रीय आय से किये जाने हेतु प्राधिकार–पत्र क्षेत्र को निर्गत किये जाने की कार्यवाही तत्काल कर दी जायेगी, ताकि समयान्तर्गत क्षेत्र द्वारा उक्त प्राधिकार–पत्र के अनुसार क्षेत्रीय आय से भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

जहां तक केन्द्रीय कार्यशाला एवं डा0राम मनोहर लोहिया कार्यशाला, कानपुर का प्रश्न है, वह पूर्व की भांति मुख्यालय से धन अवमुक्त कराकर निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

कृपया उपरोक्त परिपत्र का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोक्त ।

आलोक

(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूंचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com